न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 64/19

1. रामेश्वरलाल पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी चक 28 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

बनाम ....प्रार्थी

1. गिरधारी लाल पुत्र श्री किस्तुराराम जाति नायक निवासी चक 28 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
2. जेठाराम पुत्र श्री किस्तुराराम जाति नायक निवासी चक 28 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
3. रामेश्वरलाल पुत्र श्री किस्तुराराम जाति नायक निवासी चक 28 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
4. फूसीदेवी पुत्री श्री किस्तुराराम जाति नायक निवासी चक 28 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
5. परूदेवी पुत्री श्री किस्तुराराम जाति नायक निवासी चक 28 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री मखनसिंह राठौड़ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री भीमसिंह डूकिया विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की ओर से।
3. अप्रार्थी सं0 1 एवं 3 ता 5 एकपक्षीय कार्यवाही।
4. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश **दिनांक :–** 07.02.2020

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है। प्रार्थी की चक 28 के.जे.डी. के मु0न0 225/16 में 6 बीघा भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड , मु0न0 226/33 में 8.00 बीघा भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड एवं 226/36 में 25 बीघा भूमि कमाण्ड इस प्रकार कुल 39.15 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि है। जिसमें आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससें प्रार्थी को भारी परेशानी होती है। प्रार्थी के मु0न0 226/33 में कुल 8.00 बीघा भूमि है।

और इसी मुरब्बे में ही अप्रार्थीगण की कुल 17.00 बीघा कृषि भूमि है तथा अप्रार्थीगण की उक्त भूमि के किला नं0 23 ता 25 से होते हुवे प्रार्थी अपने खेत के किला नं0 22 में प्रवेश करता है । मु0न0 226/41 के किला नं0 1,10,11,20,21 में कटानशुदा रास्ता दर्ज है। जो अप्रार्थीगण के मु0न0 226/33 के किला नं0 25 के टच है। प्रार्थी किला नं0 23,24,25 में 1–1 बिस्वा रास्ता कटान चाहता है। और न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कटान कर चालू करवाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को रजि0ए0डी0 समन तलब किया गया जिसपर और अप्रार्थी सं0 1 एवं 3 ता 5 बावजूद नोटिस तलब होने पर उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 03.12.2019 एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। और दिनांक 15.11. 2019 को अप्रार्थी सं0 2 मय अधिवक्ता उपस्थित आये और दिनांक 24.12.2019 को प्रार्थना पत्र O7R11 CPC पेश किया। जिसपर प्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब न कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया एवं जिसपर दिनांक 14.01.2020 बहस और प्रार्थना पत्र पर की विवेचना के आधार पर अप्रार्थी सं0 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र O7R11 CPC व 151CPC न्यायालय ने खारिज किया और अप्रार्थी सं0 2 की ओर से अधिवक्ता ने दिनांक 28.01.2020 को जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया और अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथनों के पैरा सं0 4 में अप्रार्थीगण की 11.00 बीघा भूमि अलाट होना स्वीकार की एवं शेष सभी कथनों को अस्वीकार किया एवं अपने कथनों में कहा कि यदि प्रार्थी की मु0न0 226/25 में से होकर रास्ता लगता है। अप्रार्थी सं0 2 ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि का निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी व अप्रार्थी के बहस कथनों व नजरी नक्शा ध्यानपूर्वक मंथन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी की चक 28 के.जे.डी. के मु0न0 225/16 में 6 बीघा भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड, मु0न0 226/33 में 8.00 बीघा भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड एवं 226/36 में 25 बीघा भूमि कमाण्ड इस प्रकार कुल तादादी 39.15 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि दर्ज कागजात है। प्रार्थी अप्रार्थीगण के मु0न0 226/33 कुल 17.00 बीघा कृषि भूमि के किला नं0 23 ता 25 से 1–1 बिस्वा रास्ता से होते हुवे अपने खेत के किला नं0 22 में प्रवेश करता है । मु0न0 226/41 के किला नं0 1,10,11,20,21 में कटानशुदा रास्ता दर्ज है। प्रार्थी मु0न0 226/33 के किला नं0 23,24,25 में रास्ता कटान चाहता है। इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है । पटवारी रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है। जिसके लिए नजदीकी रास्ता मु0न0 226/33 के किला नं0 23 ता 25 में 1–1 बिस्वा रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 28 के.जे.डी. के मु0न0 226/33 के किला नं0 23 ता 25 में 1–1 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रार्थी उक्त 1–1 बिस्वा कुल 3 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि खातेदार किस्तुराराम के वारिसो (अप्रार्थीगण) को प्रदान करे यदि 30 दिन की मियाद तक किस्तुराराम के वारिस वारिसनामा सहित उपस्थित नहीं होकर उक्त राशि नहीं लेते है। तो प्रार्थी द्वारा उक्त राशि तहसीलदार अमानतमद में जमा करवाकर रास्ते का अंकन रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)